न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 2019/00094 (94/2019) 223 आर.टी.ए.

रमेश कुमार पुत्र श्री मेहरचन्द जाति जाट निवासी चक 1 ए0डब्लयू0एस0एम0 बिजारणीयां वाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)।

–– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार हनुमानगढ।

–– रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय ए0सी0सी0 हनुमानगढ दिनांक 09.02.83

उपस्थितिः–

1. श्री अनिल शर्मा अभिभाषक, अपीलांट।
2. श्री खुशकरण सिंह खोसा अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट।
3. श्री सोहनलाल सहारण अभिभाषक, प्रार्थीगण बीरबलराम आदि।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांकः– 23.03.2020

1. अपीलांट ने यह अपील ए0सी0सी0 हनुमानगढ के आदेश दिनांक 09.02.83 के विरूद्व प्रस्तुत की है, अपील के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ए0सी0सी0 हनुमानगढ ने चक 1 ए0डब्लयू0एस0एम0 पत्थर न0. 136/338 (38) किला न0. 10, 11, 20, 21 प्रत्येक किला में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का आदेश दिनांक 09.02.83 विधिविरूद्व है तथा अभिकथित रास्ता कभी भी मौका पर चालू नही रहा तथा न ही कभी रिकॉर्ड में दर्ज हुआ तथा ना ही अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उपरोक्त भूमि के मालिक को सुनवाई का मौका दिया तथा न ही ए0सी0सी0 हनुमानगढ को रास्ता को सुनने की अधिकारीता थी। अपीलांट ने अपनी मीमों ऑफ अपील में यह भी कथन किये कि अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित है, पूर्व में उपरोक्त भूमि रामजस पुत्र नानकराम के नाम दर्ज थी तथा उसकी मृत्यु के पश्चात अपीलांट के पिता के नाम दर्ज हो गई। प्रश्नगत रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में कभी भी अंकन नही हुआ क्योंकि ए0सी0सी0 हनुमानगढ द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2. यह कि अपीलांट ने अपनी मीमो ऑफ अपील के साथ आदेश की कोई प्रति प्रस्तुत नही की बल्कि नकल प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की है, जिसमें प्रभारी अधिकारी केन्द्रीकृत प्रतिलिपी शाखा जिला कलेक्टर हनुमानगढ की यह रिपोर्ट है कि उक्त अनवानी पत्रावली अभिलेखाकार में जमा नही है। जिसके अभाव में नकल जारी किया जाना सम्भव नही है व प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण बीरबलराम पुत्र बनवारीलाल व बृजलाल, हरीराम पिसरान गोपालराम ने अपने अधिवक्ता की मार्फत उक्त अपील में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया व उसके साथ दस्तावेजात की चित्रप्रतियां प्रस्तुत किया। जिसमें प्रार्थीगण बीरबलराम आदि ने यह कथन किये कि चक 1 ए0डब्लयू0एस0एम0 पत्थर न0. 136/332 से पत्थर न0. 136/338 के प्रत्येक मुरब्बा के किला न0. 1, 10, 11, 20, 21 में प्रार्थीगण की मांग पर सन् 1983 में राजस्व अभियान में रास्ता स्वीकृत किया गया तथा उक्त आदेश की पालना में मात्र 4 बीघा में उक्त रास्ते का अंकन नही हुआ। जिसे दर्ज करवाने हेतु प्रार्थीगण ने कार्यवाही कर रखी है तथा अपीलांट ने अपर जिला कलैक्टर हनुमानगढ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जो अपर जिला कलैक्टर द्वारा खारिज कर दी। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किये कि अपीलांट ने रास्ते के आदेश को चुनौती दी है, जिसमे प्रार्थीगण हितकर पक्षकार है। अपीलांट ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किये कि अभिकथित रास्ता के सम्बन्ध में प्रार्थीगण का कोई सरोकार नही है तथा न ही प्रार्थीगण ने अपनी भूमि के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये तथा प्रार्थीगण की मांग पर रास्ता स्वीकृत करने के कथनों को भी अस्वीकार किया तथा अपर जिला कलैक्टर हनुमानगढ के समक्ष प्रार्थीगण पक्षकार नही थे तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस में प्रार्थीगण बीरबलराम आदि के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए अपने द्वारा प्रस्तुत निर्णय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 हनुमानगढ एंव आदेश अपर जिला कलेक्टर, हनुमानगढ की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया तथा निवेदन किया कि अपर जिला न्यायाधीश ने मेहरचंद पुत्र रामकरण द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज कर दी व अपर जिला कलेक्टर हनुमानगढ ने भी इन्तकाल के विरूद्व अपील को खारिज कर दिया तथा यह भी कथन किये कि अपीलाधीन आदेश प्रार्थीगण बीरबलराम वगैरा की मांग पर राजस्व अभियान में पारित हुआ था, इसलिए प्रार्थीगण बीरबलराम वगैरा उक्त अपील में होने वाले निर्णय से विपरित रूप से प्रभावित है। इसके विपरित अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 हनुमानगढ के समक्ष प्रस्तुत अपील में व अपर जिला कलेक्टर हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

के समक्ष प्रस्तुत अपील में प्रार्थीगण बीरबलराम वगैरा पक्षकार नही थे। अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 हनुमानगढ के समक्ष प्रस्तुत अपील आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के विरूद्व प्रस्तुत की गई थी। सिविल न्यायालय ने क्षेत्राधिकार न होने के कारण मेहरचन्द का वाद पत्र खारिज किया था व उसकी अपील भी खारिज हुई थी। अपर जिला कलेक्टर हनुमानगढ ने अपने आदेश में यह स्पष्ट विवेचना की कि अपीलांट को जिस आदेश से प्रश्नगत इन्तकाल दर्ज हुआ, उसकी अपील करनी चाहिए थी जबकि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन इन्तकाल की अपील प्रस्तुत की गई। इस कारण अपीलांट इस स्तर पर कोई राहत प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अपीलांट ने अपनी बहस में यह भी कथन किये कि प्रार्थीगण बीरबलराम वगैरा उक्त प्रकरण में प्रभावित पक्षकार नही है तथा न ही आवश्यक पक्षकार है।

4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया

5. न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी व रिकॉर्ड के सम्बन्ध में अपीलांट से पूछा गया तो अपीलांट ने जाहिर किया कि ऐसा कोई आदेश पारित नही हुआ। अपीलांट ने अपीलाधीन निर्णय व सम्बन्धित पत्रावली की पड़ताल की लेकिन ऐसा कोई आदेश की नकल अपीलांट को प्राप्त नही हुई। वस्तुतः ऐसा कोई आदेश पारित हीं नही हुआ तथा न ही ए0सी0सी0 हनुमानगढ को ऐसा निर्णय पारित करने की अधिकारीता थी। न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं सम्बन्धित पत्रावली के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट से पूछा गया तो उन्होने भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को ही सही माना। प्रार्थीगण बीरबलराम वगैरा से भी उक्त अपीलाधीन निर्णय के सम्बन्ध में पूछा गया तो उन्होने भी अपने पास ऐसे आदेश की नकल नही होने के कथन किये। बीरबलराम आदि के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 20 सी0पी0सी0 का अवलोकन किया, जिसमें यह स्पष्ट कथन है कि प्रार्थीगण की मांग पर सन् 1983 में प्रश्नगत रास्ता राजस्व अभियान में स्वीकृत किया गया लेकिन प्रार्थीगण बीरबलराम वगैरा ने उक्त निर्णय की प्रति प्रस्तुत नही की। चूंकि अपीलांट ने अपनी मीमों ऑफ अपील में यह स्पष्ट कथन किये है कि ऐसा कोई आदेश नही है लेकिन प्रार्थीगण बीरबलराम वगैरा यह कथन कर रहे है कि अपीलाधीन आदेश उनकी मांग पर पारित किया गया था लेकिन प्रार्थीगण बीरबलराम वगैरा उक्त आदेश की प्रति प्रस्तुत करने में असफल रहें है। उक्त परिस्थितियों में प्रार्थीगण बीरबलराम वगैरा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 20 जाब्ता दीवानी खारिज किया जाता है।

6. चूंकि अपीलांट द्वारा जिस आदेश को चुनौती दी गई है, उस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी अपीलांट अथवा रेस्पोडेन्ट अथवा प्रार्थीगण बीरबलराम द्वारा कोई प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत नही की गई है। जिससे उस आदेश के अस्तित्व में होने के

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सम्बन्ध में न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य नही है। जिसके अभाव में अपीलाधीन निर्णय के गलत अथवा सही होने के सम्बन्ध में अवधारणा पारित नही की जा सकती।

7. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।
8. निर्णय आज दिनांक 23.03.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

(आशाराम डूडी आरएएस)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ़
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.23 18:12:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: